RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MH/MR/South-329/2013–15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ५(३)] सोमवार, जून २, २०१४/ज्येष्ठ १२, शके १९३६ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २ जून २०१४ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIV OF 2014.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १४, सन् २०१४।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम मे अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९५१ का २२। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३।

क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपालने, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम मे अधिकतर संशोधन करने के दृष्टि से, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया है।) १ फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि, २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्र. ३ के रूप में २४ फरवरी २०१४ को प्रस्तुत किया गया था ।

और क्योंकि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसान हो जाने के कारण प्रख्यापित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, ६ अप्रैल २०१४ के बाद राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश के उपबंधो का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ।

और क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, ५ अप्रैल २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं, इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्‌द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ कहलाए ।

(२) यह १ फरवरी २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५१ का २२ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— सन् १९५१ का २२।

(क) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१क) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य धारा २२ढ में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी से है ; " ;

(ख) खण्ड (६) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (६क) " साधारण अन्तरण " का तात्पर्य, दो वर्षों का साधारण पदावधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के अप्रैल और मई महीने में एक पद, कार्यालय या विभाग से पुलिस दल में पुलिस कार्मिकों अन्य पद, कार्यालय या विभाग की तैनाती से है ;

(६ख) " मध्यपद अन्तरण " का तात्पर्य, साधारण अन्तरण से अन्य पुलिस दल में पुलिस कार्मिकों के अन्तरण से हैं ;" ;

(ग) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१०क) " पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ ", " पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ ", " श्रेणी स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड " और " आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना " का तात्पर्य, क्रमशः धारा २२ग, २२ङ, २२छ और २२झ के अधीन गठित बोर्ड से है ;" ;

(घ) खण्ड (११) के पश्चात् निम्न खण्डों की निविष्टी की जायेगी, अर्थात् :—

" (११क) " पुलिस कार्मिक " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त किये गये समझे जानेवाले पुलिस दल के किसी सदस्य से है ;

(११ख) " पद " का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की स्थापना पर सृजित किसी पद और इसमें राज्य या केंद्र के प्रतिनियुक्ती पर पुलिस कार्मिकों के लिए समनुदेशित पद शामिल है, से है ;" ;

(ङ) खण्ड (१४) के पश्चात्, निम्न खण्डों की निविष्टी की जायेगी, अर्थात् :—

" (१४क) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(१४ख) " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(१४ग) " राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण " और " प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण " का तात्पर्य, क्रमशः धारा २२त और धारा २२ध के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(१४घ) " राज्य सुरक्षा आयोग " का तात्पर्य, धारा २२ख के अधीन गठित राज्य सुरक्षा आयोग से है ;" ।

सन् १९५१ का २२ की धारा ६ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराओंकी निविष्टी की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को सेवा का उनका पदावधि, बहुत अच्छी सेवा अभिलेख, अनुभव का क्षेत्र, ईमानदारी और पुलिस दल का प्रमुख होने के लिए व्यावसायिक क्षमता के आधार पर चार ज्येष्ठतम पुलिस अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा चयन किया जायेगा ।

(१ख) एक बार नियुक्ती होने पर पुलिस के महानिदेशक और महानिरीक्षक का न्यूनतम पदावधि अधिवर्षिता की उसकी आयु के अध्यधीन, कम से कम दो वर्षों का होगा । तथापि, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील), नियम, १९६९ के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही पर या निम्न विधि के न्यायालय में उसे दोषसिद्ध या भ्रष्टाचार के मामले में या अपने कर्तव्य की भारी अवहेलना या यदि वह अपने कर्तव्य के निर्वहन से अन्यथा असमर्थ है तो तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा उसकी जिम्मेदारी से मुक्त किया या सकेगा । " ।

सन् १९५१ का २२ में अध्याय दोन-क की निविष्टि।

४. मूल अधिनियम की धारा २२क के पश्चात्, निम्न अध्याय निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" अध्याय दोन–क

राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण ।

राज्य सुरक्षा आयोग ।

२२ख. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग को समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सुरक्षा आयोग गठित करेगी ।

(२) राज्य सुरक्षा आयोग निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री ... पदेन अध्यक्ष ;

(ख) राज्य विधानसभा के विरोधीपक्ष ... सदस्य ;

(ग) मुख्य सचिव ... सदस्य ;

(घ) अप्पर मुख्य सचिव (गृह) ... सदस्य ;

(ङ) पाँच गैर सरकारी सदस्य ... सदस्य ;
(राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले)

(च) पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ... सदस्य सचिव ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर दिनांकित १० जुलाई २०१३ के अपने संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित पहले का राज्य सुरक्षा आयोग अस्तित्वहीन होगा :

परन्तु, पहले के राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा की गई है मानों कि प्रवर्तमान जारी रहेगा ।

(४) कोई व्यक्ति यदि वह,—

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ख) विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप विधि के न्यायालय द्वारा विरचित किये गये है ; या

(ग) सरकारी सेवा, अर्धसरकारी या निजी सेवा से पदच्युत या हटाया गया है या भ्रष्टाचार या अयोग्यता या नैतिक अधमता या किसी भी किस्म का दुराचार के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो ; या

(घ) कोई सार्वजनिक पद धारण करने से या कोई निर्वाचन लड़ने से विवर्जित किया जायेगा ; या

(ङ) संसद का राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय के सदस्य समेत किसी राजनीतिक पद धारण करता है या धारण किया है, या राजनीतिक पक्ष से संबंधित किसी राजनीतिक पक्ष या किसी संगठन का पदधारी है या था ; या

(च) विकृत चित्त का है, तो राज्य सुरक्षा आयोग के और सरकारी सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे ।

(५) उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन गैर शासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए । इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कम से कम एक महिला होगी और एक पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से होगा । गैर सरकारी सदस्य स्थूल रूप से निम्न विद्याशाखाओं में से होंगे :—

(क) परिषद सदस्य, मुक्त कला, संचार और प्रसार माध्यम ;

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से संबंधित निगरानी और सुरक्षा ;

(ग) विधि क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(घ) नियमित अनुशासन ;

(ङ) महिला तथा बाल विकास, सामाजिक न्याय, जनजाति विकास, ग्राम विकास या शहरी विकास के क्षेत्र में गैर सरकारी संघटनाओं का कामकाज।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, " पिछड़ा वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से है ।

(६) उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन, नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य को किन्ही निम्न आधार पर राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) अयोग्यता साबित करना ;

(ख) दुराचार या अधिकारों का दुर्व्यवहार या दुरूपयोग साबित करना ;

(ग) पर्याप्त कारण के बिना, राज्य सुरक्षा आयोग की लगातार तीन बैठको में उपस्थित होने के लिए असमर्थ होना :

परन्तु, सदस्य को इस खण्ड के उपबंधो के अधीन उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् को छोड़कर हटाया नहीं जायेगा ;

(घ) मानसिक दुर्बलता के कारण द्वारा अक्षमता ;

(ङ) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये असमर्थ होने से अन्यथा ; या

(च) विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या जहाँ विधि के न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध प्रभार विरचित किये गये है ।

(७) राज्य सुरक्षा आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्षों की होगी । ऐसे पद के अन्य निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाए, ऐसी होगी ।

(८) राज्य सुरक्षा आयोग यथा निम्न शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगी :—

(क) पुलिस दल भूमि और भारत के संविधान की विधि के अनुसार हमेशा कार्य करना सुनिश्चित करने समेत राज्य में पुलिस दल के कृत्यों के लिये व्यापक मार्गदर्शक नीति अधिकथित करेगा ;

(ख) पुलिस दल के निवारक कार्य और सेवाभिमुख कृत्यों के अनुपालन के लिए व्यापक सिद्धांत बनाना ; और

(ग) पुलिस दल के अनुपालन का मूल्यांकन।

(९) राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष उचित समझे ऐसे समय और स्थान में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक लेगा और अपने कारोबार के संव्यवहार संबंधि ऐसी प्रक्रिया का अवलोकन करेगा ।

(१०) राज्य सुरक्षा आयोग की सिफारिशें परामर्श स्वरूप की होगी ।

२२ग. (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम प्रयोजनों के लिये पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ नामक बोर्ड का गठन करेगी । पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ ।

(२) पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अपर मुख्य सचिव (गृह)	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस महानिदेशक और महानिरिक्षक	...	उपाध्यक्ष ;
(ग) महानिदेशक और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	...	सदस्य ;
(घ) पुलिस आयुक्त, मुंबई	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (स्थापना)	...	सदस्य सचिव :

परन्तु, पिछडे वर्ग से यदि कोई उपर्युक्त सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों से है ।

२२घ. पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :— पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ के कृत्य ।

(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, धारा २२ग की उप-धारा (१) के अधीन गठित बोर्ड वेतन और भत्तों को छोडकर, पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तें संबंधी राज्य सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकेगी ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्न सभी या किन्ही कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) पुलिस अधिकारियों की तैनाति और स्थानांतरण संबंधी राज्य सरकार को सलाह देना और सिफारिशें करना ;

(ख) उनकी पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ और अन्य सेवा मामलों संबंधी पुलिस अधिकारियों से उक्त बोर्ड व्दारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में राज्य सरकार को समुचित सिफारिशें करना ।

(३) बोर्ड, राज्य सरकार व्दारा बोर्ड को समय-समय से समनुदेशित किया जाए ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप-अधीक्षक की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २।

२२ङ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्थापन बोर्ड क्रमांक २ नामक बोर्ड गठन करेगी ।

(२) पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक	...	अध्यक्ष ;
(ख) महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	...	सदस्य ;
(ग) पुलिस आयुक्त, मुंबई	...	सदस्य ;
(घ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था)	...	सदस्य ;
(ड़) सचिव या प्रधान सचिव, यथास्थिति (अपील और सुरक्षा)	...	सदस्य ;
(च) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (स्थापना)	...	सदस्य सचिव :

परन्तु, पिछड़े वर्ग से यदि कोई उपर्युक्त सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के अपर महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछडा प्रवर्ग और अन्य पिछडे वर्गों से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ के कृत्य ।

२२च. पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :–

(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, धारा २२ड़ की उप-धारा (१) के अधीन गठित बोर्ड वेतन और भत्तों को छोडकर पुलिस अधिकारियों की सेवा की शर्तें संबंधी संबंधित सक्षम प्राधिकारी को समुचित सिफारिशें कर सकेगी । सक्षम प्राधिकारी उन पर सामान्यतः कार्य करेगा ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्न सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) पुलिस अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण का विनिश्चय करना ;

(ख) उनकी पदोन्नती, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य सेवा मामलों संबंधी पुलिस अधिकारियों से बोर्ड व्दारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को समुचित सिफारिशें करना ;

(ग) बोर्ड राज्य सरकार व्दारा समय-समय से, बोर्ड को समनुदेशित की जाए ऐसी अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

(३) खंड (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों से संबंधित तैनाती, अकारण और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में लोकहित और प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं में निदेश देगी और ऐसे निदेश बोर्ड को बाध्यकारी होंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस निरीक्षक की अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है ।

श्रेणी स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड ।

२२छ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए श्रेणी स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) क्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक ... अध्यक्ष ;

(ख) क्षेत्र के भीतर दो जेष्ठतम पुलिस अधीक्षक ... सदस्य ;

(ग) पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्र के पद में प्रवाचक (पुलिस उप-अधीक्षक) ... सदस्य सचिव ;

परन्तु, उपर्युक्त सदस्यों में, से यदि पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के पुलिस अधीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़ा वर्गो से है ।

क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२ज. क्षेत्र स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

(क) बोर्ड, क्षेत्र के भीतर पुलिस उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के मामले से संबंधित सभी अन्तरण, तैनाति, और अन्य सेवा विनिश्चित करेगी ;

(ख) बोर्ड, क्षेत्र के बाहर तैनाती और अन्तरण संबंधी पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ को समुचित सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए " पुलिस अधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है ।

आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड ।

२२झ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड निम्न सदस्यों के मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) पुलिस आयुक्त ... अध्यक्ष ;

(ख) पुलिस संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त या उपायुक्त की श्रेणी में दो वरिष्ठतम अधिकारी । ... सदस्य ;

(ग) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) ... सदस्य सचिव :

परन्तु, उपर्यक्त सदस्य यदि पिछडे वर्ग से नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के पुलिस उपायुक्त की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.——इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, " पिछड़ा वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछडे वर्गों से है ।

आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२ञ. (१) आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारीयों के सभी अन्तरण, तैनातियाँ और अन्य सेवा संबंधी मामलों का विनिश्चय आयुक्तालय के भीतर करेगी ;

(ख) बोर्ड, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की आयुक्तालय के बाहर तैनाती और अन्तरण संबंधी पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ को समूचित सिफारिशे करने के लिये प्राधिकृत करेगी ।

स्पष्टीकरण.——इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " पुलिस अधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड नियम और विनियमों का अनुपालन करना ।

२२ट. (१) इस अधिनियम के अधीन स्तर में कृत्यों का अनुपालन करते समय, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ और आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड जैसा कि समय-समय से प्रवृत्त किया जाए ऐसे नियमों और विनियमों समेत विधि के सभी उपबंधो का अनुपालन और अनुसरण करेगी ।

पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड अस्तित्वहीन होंगे ।

२२ठ. इस अधिनियम के अधीन पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ क्षेत्र स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड और आयुक्तालय स्तर के पुलिस स्थापना बोर्ड सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित किये गये पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को अस्तित्वहीन होंगे :

परन्तु, संबंधित पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किये गये विनिश्चय और सिफारिशों का प्रवर्तमान जारी रहेगा मानों कि उसके समान इस अधिनियम के अधीन गठित संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किया है ।

राज्य सरकार की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी।

२२ड. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात चाहे किसी भी श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी सभी मामलों के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होगी ।

पुलिस कार्मियों का साधारण पदावधि और सक्षम प्राधिकारी ।

२२ढ. (१) पुलिस दल में किसी पुलिस कार्मिक पदोन्नति या सेवा-निवृत्ति के अध्यधीन एक पद या कार्यालय पर दो वर्षो का साधारण पदावधि होगा । साधारण स्थानान्तरण के लिये सक्षम प्राधिकारी यथा निम्न होंगे, अर्थात् :—

पुलिस कार्मिक		सक्षम प्राधिकारी
(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	...	मुख्यमंत्री ;
(ख) महाराष्ट्र पुलिस सेवा अधिकारी और पुलिस उप-अधीक्षक की श्रेणी के उपर	...	गृहमंत्री ;
(ग) पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों	...	(क) पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २। (ख) क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड। (ग) आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड :

परन्तु, राज्य सरकार यदि,—

(क) पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित या अपेक्षित है ; या

(ख) पुलिस कार्मिक को विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) पुलिस कार्मिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप किए गये है ; या

(घ) अन्यथा पुलिस कार्मिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते समय अक्षम पाया है ; या

(ङ) पुलिस कार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना का दोषी पाया गया है, तो उनका पदावधि पूरा होने के पूर्व किसी पुलिस कार्मिक का अन्तरण किया जा सकेगा ।

(२) उप-धारा (१) में उल्लिखित आधारों के अलावा, अपवादात्मक मामले में लोकहित में और प्रशासकीय अत्यावश्यकता के कारण सक्षम प्राधिकारी पुलिस दल के किसी पुलिस कार्मिक का मध्यावधि अन्तरण कर सकेगा :

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी अपने किसी अधीनस्य प्राधिकारी को इस उप-धारा के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये " सक्षम प्राधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, निम्न से होगा :

पुलिस कार्मिक		सक्षम प्राधिकारी
(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	...	मुख्यमंत्री ;
(ख) पुलिस उप-निरीक्षक की श्रेणी के उपर के महाराष्ट्र पुलिस सेवा अधिकारी	....	गृह मंत्री ;
(ग) सहायक पुलिस उप-निरीक्षक की श्रेणी तक के पुलिक कार्मिक	.....	पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक।

२२ण. (१) प्रत्येक पुलिस थाणे में अपराध शाखा या स्थानीय अपराध शाखा और खोज या अन्वेषण कक्ष यह केवल अपराध के अन्वेषण पर संकेंद्रित होगा और उनपर साधारणतः विधि व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य कर्तव्यों को सौंपा नहीं जायेगा। कानून एवं व्यवस्था पुलिस से पुलिस अन्वेषण का पृथकरण।

(२) यूनिट कमांडर, प्रत्येक यूनिट के अन्वेषण या खोज विंग और कानून एवं व्यवस्था और अन्य विंग के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।

२२त. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक प्राधिकरण गठित करेगी। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस महानिरीक्षक की अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधीक्षक अधिकारी।	...	सदस्य ;
(ग) नागरी समाज से प्रतिष्ठित व्यक्ति	...	सदस्य ;
(घ) राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी।	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक की अनिम्न श्रेणी के अधिकारी।	...	सदस्य सचिव।

(३) इस अधिनियम के अधीन राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर, सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को अस्तित्वहीन होगा :

परन्तु, पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पूर्व व्यक्ति शिकायतें और जाँच इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से ऐसी शिकायतें और जाँच यदि लंबित है तो वह प्रवर्तित रूप में जारी रहेंगी और वे पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशें इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रवर्तित रूप में जारी रहेंगी।

(४) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश द्वारा प्रस्तावित नाम के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा चुना जायेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

२२थ. (१) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न शक्तियों और कृत्यों का अनुपालन करेगा :–

(क) स्वप्रेरणा से या,–

(एक) पीडित व्यक्ति या अपने परिवार का कोई सदस्य या उसकी ओर से किसी कोई अन्य व्यक्ति ;

(दो) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग ; और

(तीन) पुलिस

की ओर से पुलिस अधिकारी के विरुद्ध,–

(एक) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यू ;

(दो) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२० के अधीन यदि परिभाषित है ; सन् १८६० का ४५।

(तीन) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास ;

(चार) निम्न विहित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या कैद ;

(पांच) भ्रष्टाचार ;

(छह) उद्दापन ;

(सात) भूमि या मकान छीनना ; और

(आठ) जिनमें विधि के किसी उपबंधों का गंभीर उल्लंघन या विधिपूर्ण प्राधिकरण का दुरुपयोग सम्मिलित है किसी अन्य मामले राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उसके द्वारा दायर शिकायत पर जाँच ;

(ख) किसी व्यक्ति को प्राधिकरण की राय में जाँच के मामले के अध्यधीन उपयोग हो सके ऐसे मद्दों या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करनेवाले किसी व्यक्ति की मांग करना।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य, पूर्ण समय आधार पर प्राधिकरण के लिये कार्य करेंगे। वेतन या मानदेय और उन्हें देय अन्य भत्ते, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तों ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(३) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(४) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी भी मामलों की जाँच करते समय, उसे, निम्न मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल वाद का विचारण करते समय, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगीः— सन १९०८ का ५।

(क) साक्षीयों को समन जारी करना ओर हाजिर करना और उनका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज की आवश्यक खोज करना और प्रस्तुत करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकार्ड या प्रतिलिपि की आवश्यकता ओं को पूरा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष प्राप्त करना ;

(ङ) साक्षीदार या दस्तावेज के परीक्षण के लिए कमिशन जारी करना ; और

(च) ऐसा अन्य मामला जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये ।

(५) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को ऐसे मदों या मामलों पर जानकारी जुटाने के विशेषाधिकार के अध्यधीन आवश्यक किसी व्यक्ति की जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की राज्य में उपयुक्त या

सन १८६० का ४५। सुसंगत होकर जाँच के मामले के संबंधी है और कोई व्यक्ती इसप्रकार अपेक्षित है तो वह भारतीय दंड संहिता की धाराएँ १७६ और १७७ के अर्थान्तर्गत ऐसी जानकारी जुटाने के लिए कानूनी रुप से आबद्ध होगा।

(६) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सिविल न्यायालय माना जायेगा और भारतीय दंड संहिता की धाराएँ १७५, १७८, १७९, १८० या २२८ में यथा परिभाषित जब कोई अपराध प्राधिकरण की दृष्टि से या प्राधिकरण के समक्ष घटित हो जाता है तो प्राधिकरण, अपराधी को अभिरक्षा में कैद रखेगा और उसे किसी भी समय पर, उसी दिन को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित करके अपराध का संशेय लेगा और अपराधी को यह कारण दर्शाने का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाये, अपराध के दंडादेश जुर्माना दो सों रुपये से अनधिक का होगा और जुर्माने का भुगतान करने की चूक में सामान्य कारावास होगा जिसकी अवधी जबतक ऐसा जुर्माना जल्दी भरा नहीं जाता है तबतक एक महीने तक बढ़ायी जायेगी । यदि राज्य पुलिस शिकायत
सन १९७४ का २। प्राधिकरण किसी मामलो में यह विचार करता है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ में निर्दिष्ट किन्हीं अपराधों का अभियुक्त व्यक्ति है और उसकी दृष्टि से या उसके समक्ष अपराध करता है तो कारारुद्ध होने से अन्यथा जुर्माने के भुगतान में चूक करता है या जुर्माना जो दो सौ रुपयें से अधिक होगा वह उस पर अधिरोपित किया जायेगा या ऐसा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की किसी अन्य कारण के लिए यह राय होती है की मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३४५ के अधीन निपटाया नहीं जाये तो ऐसा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपराध गठित होने के तथ्यों को अभिलिखित करने के बाद और अभियुक्त का कथन इसकेपूर्व उपबंधित करके, उसे विचारण की अधिकारितावाले मजिस्ट्रेट को मामला अग्रेषित करेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए उसे सुरक्षा देना आवश्यक होगा या यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जायेगा । मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला अग्रेषित किया गया है तो यथाशीघ्र यदि वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो उसके साथ कार्यवाही करेगा।

(७) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही, धाराएँ १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ के प्रयोजन के लिए,
सन १९७४ का २। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के समस्त प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जायेगा ।

(८) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को, जो किसी चोरी या त्रासदी का सामना शिकायत करने के लिए या सबूत जुटाने वाले साक्षीदार, पीडीत और उनके परिवारों को संरक्षण देने की सुनिश्चिती करने के उपायों पर राज्य सरकार को सलाह देनी की शक्ति होगी ।

(९) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का काई भी सदस्य, लिखित में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है वह किसी भी पुलिस थाने, बन्दीखाना या पुलिस द्वारा उपयोग में लाये गये अवरोधन के किसी स्थान पर भेंट कर सकेगा और यदि वह उचित समझता है तो वह पुलिस अधिकारी द्वारा साथ में जायेगा ।

(१०) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण क्षेत्र जाँच के प्रयोजन के लिए वह उचित समझे ऐसे किसी व्यक्ति को जाँच मामले के विषय में जाँच करने के निदेश देगा और प्राधिकरण को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

२२द. (१) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जाँच पूर्ण करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये ऐसे समय के भीतर, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, निम्न से कोई कदम उठा सकेगी —

(क) राज्य सरकार, रिपोर्ट स्वीकृत करेगी और जबतक उप-धारा (३) में यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट को खारिज करने की शक्ति का राज्य सरकार प्रयोग नहीं करती है तबतक उसपर कार्य करेगी।

(ख) अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ संस्थित करने के प्रयोजन के लिए, प्रारंभिक जाँच के रूप में उसे समझा जायेगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकरण, दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहीयों को संस्थित करने के निदेश देगा ।

(ग) यदि, राज्य पुलिस शिकायत के प्राधिकरण की रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कमिशन का मामला संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तो राज्य सरकार, उसे संबंधित पुलिस थाने को अग्रेषित करेगी और तत्पश्चात् उसे दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १५४ के अधीन प्रथम जानकारी रिपोर्ट के रुप में अभिलिखित करेगा । सन १९७४ का २।

(३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपवादात्मक मामलों में कारणों को लिखित में अभिलिखित करके राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट को खारिज कर सकेगी ।

(४) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट को राज्य सरकार के खारिज करने की दशा में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उस मामले में अतिरिक्त जाँच करना और इसनिमित्त नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण.—धारा २२थ और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पुलिस अधिकारी की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी के या पुलिस सहायक आयुक्त या उपर के पुलिस अधिकारी से है ।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रभागीय स्तर।

२२ध. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगा ।

(२) प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी अधीक्षक	...	सदस्य ;
(ग) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	...	सदस्य ;
(घ) सिविल सोसायटी से नामचीन व्यक्ति	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस उप-अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का या समतुल्य का अधिकारी	...	सदस्य-सचिव.

(३) उप-धारा (१) के अधीन प्रभागीय स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर, दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा पहले गठित जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, विद्यमान होने से परिविरत होगा ।

(४) धारायें २२त, २२थ और २२द के उपबंध, क्रमशः शिकायतें या जाँच और सिफारशों के जारी रहने, अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्यों और राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण संबंधी होकर **यथावश्यक परिवर्तन समेत** प्रभागीय स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण को लागू होंगी ।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध झुठी शिकायत के लिए अभियोजन।

२२न. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो भी कोई इस अध्याय के अधीन पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई झूठी या छिछोरी शिकायत दर्ज करता है तो, दोषसिद्धी पर, दो वर्ष तक बढाये जा सकनेवाले अन्य विवरण के कारावास के साथ या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा और यदि ऐसी कार्यवाही फाँसी, आजीवन कारावास के दंडणीय किसी अपराध के झूठे प्रभार पर या सात वर्षों के या बढ़ाये गये कारावास से संस्थित की जाती है तो सात वर्ष की अवधि तक बढ़ाये जाये ऐसी अवधि के अन्य विवरण के कारावास से दंडणीय होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगी ।

सन १९७४ का २। (२) न्यायालय द्वारा उप-धारा (१) के अधीन किसी अपराध का संशेत्र लेने के लिए दंड प्रकिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगे ।

(३) इस अधिनियम के अधीक झूठी या छिछोरी शिकायत करनेवाले व्यक्ती के दोषसिद्धी के मामले में ऐसी व्यक्ति संबंधित पुलीस अधिकारी जिसके विरूद्ध उसने झूठी या छिछोरी शिकायत की है उसे क्षतिपूर्ति देने का इसके अतिरिक्त मामला लड़ने के लिए कानूनी खर्च देने का दायी होगा, जिसके लिए न्यायालय क्षतिपूर्ति हेतु, उप-धारा (२) के अधीन अवधारण के लिए विचारण करेगा ।

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट न होते हुए भी, सद्‌भावनापूर्वक की गई शिकायतों के मामले में यह लागू होगा ।

सन १८६० का ४५। **स्पष्टीकरण.—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सद्‌भावनापूर्वक" शब्द की अभिव्यक्ति, भारतीय दंड संहिता की धारा ५२ सें समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी। " ।

सन २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३। **५.** (१) महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । सन २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए की, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तस्थानी उपबंधो के अधीन कृत कोई बात या या की गई कार्यवाही जारी किसी आधिसूचना या आदेश समेत इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थांनी उपबंधो के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

६. (१) यदि इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधो से असंगत ऐसे निर्देश दे सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हों। कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परंतु, ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसे बनाये जाने के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य।

भारत सरकार ने, पुलिस की भूमिका और कार्य का नये सिरे से परीक्षण करने दोनो हेतू कानून लागू करनेवाला अभिकरण और भारत के संविधान में स्थापित नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करनेवाली संस्था के रुप में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठ़न किया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने, सभी मदों पर गहराई से परीक्षण करने के बाद विभिन्न रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट वर्ष १९८१ में प्रस्तुत किये थे। प्रकाश सिंग और अन्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२ के अधीन भारतीय संघराज्य और अन्य के विरूद्ध सम्मानीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक ३१० सन् १९९६ दायर की थी जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने और पुलिस, देश के कानून को और लोगों के लिए अनिवार्य और प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार है इसकी सुनिश्चिति करने संबंधी थी।

२. सम्मानिय उच्चतम न्यायालय ने, उक्त रिट याचिका का विचार करते समय, अपने दिनांक २२ सितंबर २००६ (रिपोर्ट) (२००६) (एसएससी २) के न्यायनिर्णय में कहा है कि, समुचित विधान को विरचना होने तक प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना अनिवार्य होगा।) सम्मानीय उच्चतम न्यायालय ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२ के साथ पठित अनुच्छेद १४२ के अधीन निर्देश जारी किये है जो राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस संस्थापन बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस जाँच के अलगीकरण का गठ़न करने और पुलिस, कानून और आदेश, महानिदेशक का चमन और पदावधि और पुलिस महानिरीक्षक और प्रवर्तनिय कर्तव्यों पर के पुलिस अधिकारियों की न्यूनतम अवधि संबंधी है।

सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायनिर्णय के अनुसरण में और विधि द्वारा समुचित परिवर्तन किये जाने तक महाराष्ट्र सरकार ने, समय-समय पर विभिन्न संकल्प और अधिसूचनायें जारी की है।

इस पृष्ठपर में, महाराष्ट्र सरकार ने, अनगिता मदों का परीक्षण करने और आवश्यक कार्यवाही के लिए सिफरिशें करने हेतु एक केबिनेट उप-समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया था। चूँकि केबिनेट उप-समिति ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का २२) में यथोचित संशोधन करने की सिफारिश की है, अतः महाराष्ट्र सरकार, उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. क्योंकि दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का महा. २२।) में अधिकार संसोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था। अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्र. ३) १ फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया गया था।

४. तत्पश्चात् २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्रमांक ०३ के रूप में २४ फरवरी २०१४ को प्रस्तुत किया गया। तथापि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल के २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसान हो जाने के कारण प्रख्यापित नहीं हो सका था । भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश ६ अप्रैल २०१४ के बाद प्रवर्तित होने से परिवित्त हो जाएगा। इसलिए उक्त अध्यादेश के उपबंधो का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ।

चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हौ चुका था कि, ऐसी परिस्थितीयाँ विद्यमान थीं जिनके कारण इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्र. ३) के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; अतः महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्र. ८) ५ अप्रैल २०१४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ मई २०१४ ।

आर. आर. पाटील,
गृहमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

खण्ड ४.—इस खण्ड के अधीन, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का २२) में अध्याय दो-क निविष्ट करना है,–

(क) धारा २२ख में,–

(एक) उप-धारा (१) उक्त अधिनियम के अधीन समनुदेशित शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के अनुपालन के प्रयोजन के लिये, राज्य सुरक्षा आयोग को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(दो) उप-धारा (७) में, राज्य सुरक्षा आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और शर्तें नियमों द्वारा विहित करने के लिये, राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) धारा २२ग की, उप-धारा (१) में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(ग) धारा २२ङ की, उप-धारा (१) में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(घ) धारा २२छ की, उप-धारा (१) में, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये क्षेत्र स्तर पुलिस स्थापना बोर्ड का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(ङ) धारा २२त्र की, उप-धारा (१) में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(च) धारा २२त की, उप-धारा (१) में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठन करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(छ) धारा २२थ,–

(एक) उप-धारा (२) में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गैर-सरकारी सदस्यों के वेतन और मानदेय और देय अन्य भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते विहित करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(दो) उप-धारा (४) के खण्ड (च) में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सन् १९०८ का ५) के अधीन सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी के संबंध में मामले विहित करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(ज) धारा २२द की, उप-धारा (१) में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वह समय विहित करने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है ;

(झ) धारा २२ध की, उप-धारा (१) उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, गठित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

खण्ड ६.—इस खण्ड के अधीन उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई को **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, हटाने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड ४ राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और प्रभागिय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का २२) में अध्याय दो-क के निवेशन के लिए उपबंध करता है। इस गणना पर अनावर्ती व्यय २५३.५७ लाख रुपये अनुमानित किया गया है और इस गणना पर आवर्ती व्यय ३८४.३३ लाख रुपये अनुमानित किया गया है और अतिरिक्त अन्तरण अनुदान पर आवर्ती व्यय १८५५.५८ लाख रुपये है। उक्त खर्च राज्य की समेकित निधि में से पूरा करना होगा।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे।
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र पुलीस (संशोधन और जारी रहना) विधेयक, २०१४ ई. पुरःस्थापित करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २ जून २०१४ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.